अध्याय III : थलसेना

3.1 एक अपंजीकृत एवं अनुभवहीन फर्म से पूर्व तकनीकी जांच के बिना निम्न स्तर के भंडारों की स्वीकृति

रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय ने प्रतिदर्श के पूर्वानुमोदन के बिना ₹2.54 करोड़ की लागत पर परम शीत ऋतु मास्क की आपूर्ति हेतु एक नए और अपंजीकृत फर्म के साथ संविदा की। इस प्रकार क्रय किए गए मास्क बाद में उपयोगकर्ताओं द्वारा निम्न-स्तर के पाए गए परिणामस्वरूप ₹1.82 करोड़ मूल्य के 92,783 मास्क का उपयोग नहीं किया जा सका।

रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली (डीपीएम) 2005 एवं 2006 (राजस्व अधिप्राप्ति) के क्रमशः पैरा 4.4.1 और 4.4.2 उल्लेख करते है कि खुली निविदा पूछताछ के मामलों में, जहाँ एक अपंजीकृत फर्म प्रस्तावित मद के तकनीकी प्राचलों को पूरा करने हेतु तकनीकी विनिर्देशनों के अनुपालन का दावा करती है, तब ऐसी फर्म की वाणिज्यिक बोली खोलने से पूर्व, ए एच एस पी[12]/ निर्दिष्ट जांच अभिकरण द्वारा प्रतिदर्श का अनुमोदन एवं फर्म की क्षमता का सत्यापन करना अनिवार्य है।

रक्षा सामग्री तथा भंडार अनुसंधान एवं विकास संस्थापन (डी एम एस आर डी ई) द्वारा 1988 में विकसित परम शीत ऋतु मास्क (मास्क) 12 भिन्न सामग्रियों से बनाया गया एक विशेष परिधान है और वे सामग्रियाँ डी एम एस आर डी ई द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की प्रदत्त सूची में से अधिप्राप्त की जाती थी। इस मद का ए एच एस पी गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय (वस्त्र एवं परिधान) [सी क्यू ए (टी एवं सी)] कानपुर था।

अगस्त और नवंबर 2005 के लिए महानिदेशक आयुध सेवाओं (डी जी ओ एस) के मांगपत्रों के प्रति रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय ने ₹2.54 करोड़ की कुल लागत पर 1,29,873 मास्क की आपूर्ति हेतु दिसम्बर 2006 में मेसर्स हेरिटेज क्रिएशन्स दिल्ली (फर्म) के साथ एक संविदा की। रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली (2006) का उल्लघंन करते हुए यह आदेश, तथापि प्रतिदर्श का पूर्वानुमोदन के बिना दिया गया था। चूँकि यह मद नयी थी और फर्म भी नई एवं अपंजीकृत थी, सी क्यू ए (टी एवं सी) ने डी जी ओ एस को संविदा में अग्रिम प्रतिदर्श की आवश्यकता को सम्मिलित करने का सुझाव दिया (फरवरी 2007) ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि थोक उत्पादन प्रारंभ करने से पूर्व फर्म द्वारा उचित निर्माण तकनीक की स्थापना कर ली गई थी। तथापि, डी जी ओ एस ने यह कहते हुए इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया कि फर्म के प्रतिदर्श का डी एम एस आ डी ई द्वारा अनुमोदन किया जा चुका था और इसलिए अग्रिम प्रतिदर्श हेतु खंड को संविदा में सम्मिलित नही किया गया था।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला (फरवरी 2013) कि के डी एम एस आर डी ई द्वारा प्रतिदर्श पहले से अनुमोदित होने का डी जी ओ एस का दावा वस्तुतः गलत था, क्योकि डी एम एस आर डी ई ने पुष्ट किया कि उनके द्वारा इस फर्म के प्रतिदर्श का अनुमोदन नही किया गया था। सी क्यू ए (टी एवं सी) ने डी जी ओ एस द्वारा किए गए दावे का खंडन किया तथा जून

[12] मास्क मोहरबंद विवरण अतिधारक प्राधिकारी मदों का विनिर्देशन तैयार करने और उस मंदो का विस्तृत विवरण रखने के लिए अधिकृत प्राधिकारी है।

2007 में स्पष्ट किया कि डी एम एस आर डी ई ने फर्म द्वारा दिये गए प्रतिदर्श की जांच तकनीकी प्राचलों का आवलोकन किए बिना केवल दृश्य रूप से निर्माण आकृति एवं डिजाइन के लिए की गई थी और इसलिए संविदा में अग्रिम प्रतिदर्श खंड को विधिवत सम्मिलित किए जाने कि आवश्यकता थी

अतः फर्म ने प्रतिदर्शो का तकनीकी अनुमोदन कराए बिना आपूर्ति की। आदेशित सभी परिमाण अप्रैल 2008 और अगस्त 2008 के बीच केंद्रीय आयुध डिपो (सी ओ डी), कानपुर द्वारा प्राप्त किए गए। तथापि, सेना कंमाडर को दी गयी एक प्रस्तुति के दौरान, उत्तरी कमान मुख्यालय (एच क्यू एन सी) द्वारा मास्क के साथ साथ परिधान मदों की गुणवत्ता के संबंध में उपयोगकर्त्ताओं की चिंताओ को उठाया गया। उत्तरी कमान मुख्यालय ने तदनुसार मद की गुणवत्ता बढाने हेतु मार्च 2011 में रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय के साथ यह मामला उठाया। इसके आगे, मास्क की गुणवत्ता के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा उपयोगकर्त्ता इकाइयों से पूछे गए (जुलाई 2011) एक विशेष प्रश्न के उत्तर में 71 आयुध अनुरक्षण प्लाटुन और 8 माउण्टेन डिविजन जिन्हे एक बड़ी मात्रा में यह मास्क जारी किए गए थे, ने इन मास्क की गुणवत्ता में कमी की पुष्टि की (अगस्त 2011 एवं जून 2012)। यह सूचित किया गया कि कठिनाई मुख्यतः पहनने में, श्वसन में तथा प्रयुक्त परिधान की खराब गुणवत्ता के कारण उत्पन्न त्वचा की अतिसंवेदनशीलता आदि में थी।

हमने इस मामले की आगे जांच की तथा मास्टर जनरल आयुध शाखा (एम जी ओ), रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय से मास्क की भंडार स्थिति के बारे में पता किया±¼ फरवरी 2013)। एम जी ओ द्वारा सूचित किया गया (अप्रैल 2013) कि अप्रैल 2008 एवं अगस्त 2008 के बीच प्राप्त कुल 1,29,873 मास्क मे से 22,169 मास्क मार्च 2013 तक केंद्रीय आयुध डिपो कानपुर में रखे हुए थे। तीन वर्षो के निर्धारित जीवनकाल को देखते हए ₹43.35 लाख मूल्य के इस भंडार ने अतैव अपनी शेल्फ लाइफ भंडारण में ही समाप्त कर दी थी। एम जी ओ के उत्तर से हमने यह भी देखा कि ₹52.67 लाख मूल्य के 26908 मास्क 2012 में उनकी शेल्फ लाइफ की समाप्ति के बाद केंद्रीय आयुध डिपों कानपुर से जारी किए गए। इसके अतिरिक्त, जुलाई 2009 और जुलाई 2011 के बीच उत्तरी, पूर्वी, एवं पश्चिमी कमानों में ₹85.55 लाख मूल्य के 43706 मास्क का निराकरण किया गया ।

इस प्रकार, उचित सर्वेक्षण और प्रतिदर्श के पूर्वानुमोदन के बिना जैसाकि रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली द्वारा अपेक्षित था,एक अपंजीकृत एवं अनुभवहीन फर्म से ₹2.54 करोड़ मूल्य के मास्क स्वीकार किए गए। इस प्रकार, अधिप्राप्त किए गए मास्क को उपयोगकर्ताओं द्वारा गुणवत्ताहीन पाया गया तथा ₹1.82 करोड़ मूल्य के 92783 मास्क का या तो उनके निर्धारित शेल्फ लाइफ की समाप्ति के बाद भी उपयोग/ भंडारण किया गया या फिर निराकरण करना पडा।

यह मामला दिसंबर 2012 में मंत्रालय को भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2013)।

3.2 एक्स-रे जेनरेटर्स को नौ साल से अधिक समय तक स्टॉक में रखना

आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों के खोज एवं निराकरण के लिए सितम्बर 2004 में ₹2.28 करोड की लागत से आयात किए गए एक्स-रे जेनरेटर्स को उपयोगकर्ता को आई.एच.क्यू से रिहाई के आदेश के अभाव में जारी नही किया गया। 90 प्रतिशत जेनरेटर्स की कार्यक्षमता स्टॉक में ही समाप्त हो गई।

तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों के खोज एवं निराकरण के लिए सितम्बर 2004 में प्राप्त किए गए कुल 124 एक्स-रे जेनरेटरस में से ₹2.28 करोड मूल्य के 32 जेनरेटरस को उनकी 90 प्रतिशत सर्विस लाइफ समाप्त होने के बाद भी उपयोगकर्ता को निर्गत नहीं किया जा सका।

रियल- टाइम वियूइंग सिस्टम एम के-IV यानि एक्स-रे जेनरेटर तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों (आई.इ.डी) के खोज एंव निराकरण के लिए एक आवश्यक उपकरण है। आंतकवादी गतिविधियों वाले क्षेत्रों में आई.इ.डी का खतरा बढ जाने के कारण इस उपकरण की महत्ता और भी अधिक हो गई है। इस श्रेणी 'ए' टैंक के उपकरण की कमी को पूरा करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 15 फरवरी 2002 को मैसर्स सैक्टर -6 टेक्नोलोजिज बेल्जियम के साथ, 124 एक्स-रे जेनरेटर्स की आपूर्ति के लिए ₹8.85 करोड (यूरो 2.073 मिलियन) की लागत का अनुबन्ध किया। इस जेनरेटर की इन-सर्विस लाइफ 10 वर्षो की थी एवं अनुबन्ध के प्रावधान के अनुसार कंपनी उपकरण की सुपुदर्गी के बाद दस वर्षो तक उपकरण का उत्पाद समर्थन देने के लिए उत्तरदायी थी।

अनुबन्धित मात्रा के विपरीत 117 एक्स-रे (सभी सहायक उपस्कर के साथ) सितम्बर 2004 में आगरा के केन्द्रीय आयुध डिपो (सी.ओ.डी) में प्राप्त किए गए, और बाकी बचे हुए सात उपकरण मार्च 2006 में प्राप्त हुए। इन में केवल 49 टैंक ही सैन्य मुख्यालय के आदेशानुसार उपयोगकर्ता इकाइयों को जारी किए गए। बाकी बचे 75 टैंकों को फैक्ट्री रिपेयर (एफ.आर) घोषित किया गया क्योकि इनकी बैटरियाँ चार्ज नही हो पा रही थी। सी.ओ डी द्वारा 29 जुलाई 2005 को एफ.आर टैंक की गुणवत्ता का दावा रखा गया। कंपनी ने 75 खराब बैटरियों को जून में प्रतिस्थापित कर दिया। परंतु इनके प्रतिस्थापन के बाद भी केवल 36 एक्स-रे जेनरेटरों को उपयोगकर्ता इकाइयों को जारी किया जा सका। बाकी बचे हुए 39 मे से 32 फ्री इश्यू स्टॉक 2 बेस ओवर हॉल एवं 5 इंटीग्रेटेड मुख्यालय (आई.एच.क्यू) रिजर्व के अतंर्गत अगस्त 2013 तक सी.ओ.डी. के स्टॉक मे थे। स्टाक में लगातार पडे हुए टैंकों के लिए दिसम्बर 2011 मे उठाए गए लेखापरीक्षा के प्रश्न के उत्तर मे सी.ओ.डी. ने कहा कि जारी किए गए टैंक श्रेणी 'ए' होने के कारण रक्षा मंत्रालय (सेना) के आई.एच.क्यू. के रिहाई आदेश/ जारी आदेश के उपरान्त निर्गमित होते है यह डिपो में इस लिए पडे हुए थे। क्योकि आर.ओ/ आई.ओ रक्षा मंत्रालय सेना के आई.एच.क्यू से प्राप्त नही हुए थें।

मई 2011 में सी.ओ.डी. द्वारा किए गए निरीक्षण में 38 एक्स-रे अपने बैटरियों के जीवन काल खत्म हो जाने के कारण फिर से ''एफ.आर'' घोषित कर दिए गए, इसी कारण से इन उपकरणो को अगस्त 2013 तक सी.ओ.डी. में रोक कर रखा गया ।

इस मामले से यह पता चलता है कि आई.ई.डी टैंक के विशिष्ट एवं विशेषीकृत आवश्यकता होने के बावजूद क्षेत्र ₹2.28 करोड़[13] मूल्य के 32 एक्स-रे जेनरेटरो को समय पर उपयोग के लिए जारी नही किया गया। प्राप्ति के नौ वर्षो तक सी.ओ.डी आगरा में बेकार पडे होने के कारण

[13] यूरो 20.73 लाख x ₹ 42.699 प्रति यूरो = ₹885.15 लाख X 32/124 = ₹228.42 लाख = ₹2.28 करोड़

यह उपकरण अपनी 90 प्रतिशत की इन- सर्विस लाइफ एवं उत्पाद समर्थन काल खत्म कर चुके थे।

मामला मंत्रालय को अप्रैल 2013 में संदर्भित किया गया था नवम्बर 2013 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

3.3 बैटरियों का अनुरक्षण न करने के कारण हानि

सेना मुख्यालय/ केंद्रीय आयुध डिपो दिल्ली छावनी ने वाहनों के लिए ₹21.32 करोड़ की लागत में 37957 अल्प अनुरक्षण बैटारियों की अधिप्राप्ति की । इनमें से 6993 बैटरियां भंडारण के दौरान उनके अपर्याप्त अनुरक्षण के कारण दोषपूर्ण / अप्रयोज्य हो गयी, जिनके परिणामस्वरूप ₹4.18 करोड़ की हानि हुई।

महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन (डी जी क्यू ए) ने बैटरियों के पुराने गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय (इलैक्ट्रॉनिक्स) (सी क्यू ए एल) विनिर्देशन 540 को नए सी क्यू ए एल विनिर्देशन 637:2006 से प्रतिस्थापित किया (जनवरी 2007) जिसमें बैटारियों के लिए कम आवेशन समय, अल्प अनुरक्षण, उच्चतर क्रैकिंग निष्पादन[14] और बेहतर दीर्घायु परिकल्पित थी। नए विनिर्देशन बैटारियों की आपूर्ति भरे हुए इलेक्ट्रोलाइट और पूर्ण आवेशित रूप में की जानी थी। चूँकि इन बैटरियों का शेल्फ जीवन छः माह का और दो वर्ष का सेवा काल था, इसलिए निर्माता द्वारा आपूर्ति की जाने की तिथि से छः माह के भीतर उनका उपयोग करने तथा डिपो में पूर्ण आवेशित अवस्था में न्यूनतम समय के लिए रखने की आवश्यकता थी। भंडारण अवधि (अधिकतम छः माह) के दौरान समय-समय पर वोल्टेज की जांच की जानी थी, तथा इस अवधि के दौरान 12 वोल्ट और 6 वोल्ट बैटरियों के संबध में यदि वोल्टेज क्रमशः 10.75 वोल्ट और 4 वोल्ट के नीचे चला गया, तो उसे अपनी पूर्ण कार्यक्षमता में पुर्नजीवित किया जाना था।

रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय ने ₹3.20 करोड़ मूल्य की 8620 बैटारियों (12 वोल्ट ए एच 70)[15] की अधिप्राप्ति हेतु फरवरी 2008 में मेसर्स एक्साइड इंडस्ट्रीज को आपूर्ति आदेश दिया। केंद्रीय आयुध डिपो (सी ओ डी) में जुलाई/ अगस्त 2008 में संपूर्ण परिमाण में बैटरियां प्राप्त हो गयी । बैटरियों की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए केंद्रीय आयुध डिपो ने ₹3.25 करोड़ और ₹14.87 करोड़ मूल्य के क्रमशः 8714 बैटरियों (12 वोल्ट ए एच 70) और 20623 बैटरियों (12 वोल्ट ए एच 120) के लिए सितंबर 2008 एवं अक्तूबर 2008 में मेसर्स अमर राजा को महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान (डीजी एस एंड डी) की दर संविदा पर दो और आपूर्ति आदेश दिए। मेसर्स अमर राजा द्वारा पहले आदेश के प्रति दिसंबर 2008 और नवंबर 2010 के बीच तथा दूसरे आदेश के प्रति मई 2009 और नवंबर 2010 के बीच आपूर्ति की गई थी।

29 इकाइयों में इन बैटरियों के संबंधी लेखापरीक्षा जांच (सितंबर 2010) से पता चला कि 2009 एवं 2010 के दौरान उपरोक्त तीन आपूर्ति आदेशों के प्रति प्राप्त् 6993 बैटरियां आवेशित नही रख पा रही थी और इसलिए 2010 एवं 2011 में दोषपूर्ण/ अप्रयोज्य हो गई थी। इनमें से कुछ मामलों का विस्तृत विश्लेषण करने पर सी क्यू ए एल, बेंगलूर ने देखा कि

[14] वाहन चालू करने हेतु एक विनिदिष्ट समयावधि (सैकेंडों) में के लिए उच्चतर स्फुलिंग धारा प्रदान करने के लिए बैटरी का निष्पादन।

[15] 12 वोल्ट बैटरियों का आंशिक वोल्टेज है जो एक बैटरी निर्गम सिरा पर प्रदान कर सकती है। 70 ए एच, बैटारियों की ऐम्पियर घंटो में क्षमता है।

(फरवरी 2011) बैटरियों में पाए गए दोष निर्माण की कमियों के कारण नहीं थे, किंतु अपेक्षित अनुरक्षण के बिना आयुध डिपों में लंबे समय तक उनके भंडारण के कारण थे। सी क्यू ए एल ने इसके आगे कहा कि ऐसी बैटरियों को पुर्नजीवित करके उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। दोषपूर्ण बैटरियों की मरम्मत एवं प्रतिस्थापन हेतु यह मामला जुलाई 2010 और सितंबर 2010 में दोनों फर्मो के साथ भी उठाया गया। फर्मो ने इन्हे बदलने से मना कर दिया क्योंकि दोषपूर्ण बैटरियों को सी क्यू ए एल विनिर्दिशन के अनुसार नहीं रखा गया था।

लेखापरीक्षा के प्रश्नों के उत्तर में केंद्रीय आयुध डिपो दिल्ली छावनी ने कहा (अप्रैल 2012) कि अल्प अनुरक्षण से युक्त बैटरियां सी क्यू ए एल विनिर्देशन 2006 के अनुसार सेवा में प्रवर्तित की गई थी, इन बैटरियों का भंडार जीवन केवल छः महीने तथा अधिकतय सेवा काल दो वर्ष था। सेना को इस समय तक इन बैटरियों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक विशिष्ट प्रकार्य करने हेतु कोई अनुभव नहीं था। और इसलिए सी क्यू ए एल को भंडार सोपानकों एवं संबद्व जांच सुविधाओं पर विचार किए बिना मनमाने ढंग से उसके विनिर्देश को नहीं हटाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त इन बैटरियों को थापियों में पैक किया जाता है और बैटरियों को आवेशित करने हेतु इन थापियों को तोडना होता है और संसाधनो के अभाव के कारण बैटरियों को पुनः थापियों में पैक करना संभव नहीं था। इसी बीच, डी जी ओ एस ने अगस्त 2010 में सभी कमानों को शेल्फ जीवन के भीतर बैटरियों के प्रभावकारी उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु सभी बैटरियों को अल्पमात्रीय[16] आवेश करने का अनुदेश दिया।

इस प्रकार बैटरियों के भंडारण के संबंध में नियंत्रक डिपो को पर्याप्त मात्रा में सुग्राही बनाए बिना और भंडारण के दौरान उनकी पुनःआवेशष हेतु संसाधनो का प्रबंध किए बिना अल्प अनुरक्षण युक्त बैटरियों की अधिप्राप्ति की गई जिससे अन्ततः दोषपूर्ण/ अप्रयोज्य घोषित ₹4.18 करोड़ मूल्य की बैट्ररियों की हानि हुई।

यह मामला मई 2013 को मंत्रालय में भेजा गया; उनका उत्तर नवंबर 2013 तक प्रतीक्षित था।

3.4 भंडारों के पुनःपरिवहन पर परिहार्य व्यय

केंद्रीय आयुध डिपो मुम्बई में विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से टायरों एवं शेल्टरो की प्राप्ति हुई और आपूर्तिकर्ता द्वारा उन्हें ऐसी इकाइयों में प्रत्यक्ष रूप से प्रेषित जैसे कि परिहवन नमूने में परिकल्पित करने के बजाय डिपो ने उन्हे आश्रित इकाइयों में पुनः प्रेषित किया। केंद्रीय आयुध डिपो, मुम्बई द्वारा 2008-09 से 2011-12 तक 67652 टायरों एवं 64 एकीकृत फील्ड शेल्टरों के पुनःपरिवहन के कारण ₹5.45 करोड का परिहार्य व्यय हुआ।

केंद्रीय आयुध डिपो (सी ओ डी) आश्रित निचले आयुध डिपोओं को विनिर्दिष्ट माल के भंडारों की पूर्ण श्रेणी व व्याप्ति में अखिल भारतीय प्रावधान तथा आपूर्ति हेतु मूल डिपो के रूप में संचालन करता है । आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की विद्यमान प्रणाली निचले फार्मेशनों द्वारा उनके लिए आवश्यक भंडारो को उच्चतर फार्मेशनों से मांग द्वारा प्राप्त करने के आधार पर कार्य करती है।

आयुध शाखा के मास्टर जनरल सेना मुख्यालय,(एम जी ओ) ने 1979 में भंडारों की चुनिंदा श्रेणियों के लिए परिवहन नमूना (नमूना) प्रणाली प्रारंभ की । इस नमूने में आपूर्तिकर्ता द्वारा

[16] पूर्ण रूप से आवेशित बैटरी को नो लोड में उसके स्व- निरावेशन दर के बराबर की दर में आवेशित करना और इस प्रकार बैटरी को उसके पूर्ण रूप से आवेशित स्तर पर रहने में समर्थ बनाना।

परेषिती को चुनिंदा भंडारों का प्रत्यक्ष प्रेषण परिकल्पित था। इस नमूने के प्रवर्तन का उद्देश्य केंद्रीय आयुध डिपोओं के माध्यम से भेजने के बजाय आपूर्तिकर्ता द्वारा परेषितियों को प्रत्यक्ष प्रेषण से उद्भूत भंडारो की परिवहन लागत में मितव्ययिता प्राप्त करना है। इसके अलावा बहल चढाई उतराई से होनेवाली क्षतियों के लिए कमी भी विषयक्षेत्र में परिकल्पित थी। एक तो यह नमूना मदों की चुनिंदा श्रेणी के लिए प्रयुक्त होने थी,जो स्थूल, सत्वर और अनुमापी स्थान ग्रहण करती थी। केन्द्रीय आयुध डिपो के कमांडन्ट तथापि अपनी ही पहल पर अन्य मदों का चयन के लिए प्राधिकृत थे।

लेखापरीक्षा के दौरान (सितंबर 2010 और जनवरी 2012) हमने देखा कि निम्न दो मामलों में केंद्रीय आयुध डिपो द्वारा प्राप्त भंडारो के संबंध में परिवहन नमूने का आह्वान नही किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप ₹5.45 करोड का परिहार्य व्यय हुआ।

मामला क

सेना मुख्यालय द्वारा 2005-06 से 2009-10 के दौरान टायरों हेतु दिए गए आपूर्ति आदेशों की लेखापरीक्षा जांच से (सितंबर 2010)पता चला कि जब 2005-06 और 2006-07 में परिवहन नमूने के आधार पर प्रत्येक वर्ष मात्र एक- एक आपूर्ति आदेश दिया गया था, पूर्ववर्ती कार्यविधि के अनुसार शेष 96 आपूर्ति आदेश दिए गए जिसमें केंद्रीय आयुध डिपो, मुम्बई प्रारंभिक परेषिती के रूप में था। इस प्रकार प्राप्त टायर केंद्रीय आयुध डिपो द्वारा किराये के सिविल वाहन से अतिंम परेषिती को पुनः प्रेषित किए गए। हमने टायरों के दोहरे परिवहन के कारण हुए अतिरिक्त व्यय को सेना मुख्यालय द्वारा अपनाए गए सूत्र के अनुसार परिकल्पित किया। सेना मुख्यालय द्वारा 1.59 लाख टायरों की आपूर्ति हेतु दिए गए 16 आपूर्ति आदेशों की नमूना जांच से 2008-09 से 2011-12 के दौरान केंद्रीय आयुध डिपो मुम्बई से पांच आश्रित डिपो/ इकाइयों में पुनः परिवहन किए गए 67652 टायरों के संबंध में पुनः परिवहन पर हुआ परिहार्य व्यय ₹4.15 करोड परिकल्पित किया।

सितंबर 2010 में उठाई गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तर में , केंद्रीय आयुध डिपो ने कहा (सितंबर 2010) कि यह नमूना केवल तभी उपयुक्त था जब अनेक स्रोत और गंतव्य स्थान हो, और उस मद को यथेष्ट सत्वर और पूरे भारत में निरंतर उपयोग का होता हो। उन्होने यह भी कहा कि टायरों की कुछ मदें इन मानदंडों को पालन नहीं कर रही थी और इस प्रकार एक विशेष वित्तीय वर्ष के दौरान दिए गए सभी आदेशों के लिए इस नमूने को अपनाना संभव नहीं था।

यह उत्तर तथापि वस्तुतः सही नहीं है क्योकि नवंबर 1979 में सेना मुख्यालय द्वारा अनुमोदित मदों की प्रारंभिक चयनित सूची में टायर सम्मिलित था इसके अतिरिक्त केंद्रीय आयुध डिपो के कमांडन्ट को अन्य मदों का चयन करने के लिए प्राधिकृत[17] किया गया था, जो ड्यूस आउट की बढती मात्राओं को पूरा करने में स्वंय को सुगमता से प्रदान करती है। आपूर्ति आदेश अन्य मानदंडों अर्थात सम्मिलित गंतव्य स्थानों की संख्या (पांच आश्रित डिपो) यथेष्ट प्रकृति तथा उस मद के सत्वर एवं निरंतर उपयोग का होना आदि के प्रति भी अर्हताप्राप्त थे। अतः भंडारों के प्रत्यक्ष प्रेषण के लिए यथा सेना मुख्यालय द्वारा अनुमोदित नमूने का आह्वान किया जाना चाहिए था।

[17] मास्टर जनरल ऑफ द आर्डिनेंस ब्रांच, सेना मुख्यालय के पत्र दिनाँक 14.11.1979 संख्या ए/05240/104/ओ एस-12 के पैरा 27 का संदर्भ

तथापि केंद्रीय आयुध डिपो ने इसके बाद अक्तूबर 2011 में स्पष्ट किया कि 2009-10 तथा उसके बाद के मांगपत्र और मांगे परिवहन नमूने के आधार पर सेना मुख्यालय को अग्रेषित की गई।

मामला ख

रक्षा मंत्रालय ने जुलाई 2008 में परेषिती केंद्रीय आयुध डिपो मुम्बई के लिए 101 एकीकृत फील्ड शेल्टरों (आई एफ एस) की आपूर्ति हेतु मेसर्स दास हिटैची गाजियाबाद और मेसर्स टिटागर वेगन्स कोलकत्ता प्रत्येक के साथ एक एक करके दो संविदाएँ की। 101 शेल्टरों में से उत्तरी कमान को 50 पश्चिमी कमान/दक्षिणी पश्चिमी कमान को 34 और दक्षिणी कमान को 17 शेल्टरों का प्रेषण किया जाना था। मार्च 2009 और मई 2012 के बीच में केंद्रीय आयुध डिपों मुम्बई में सभी भंडार प्राप्त हो गए जिनमें से 64 शेल्टार मार्च 2012 तक विभिन्न इकाइयों को जारी किए गए।

मार्च 2009 में केंद्रीय आयुध डिपों के कमांडन्ट ने कहा कि एक एकीकृत फील्ड शेल्टर के अंतर्गत 295 पैकेज् होते हैं तथा उसे एक विशेष गंतव्य स्थान में प्रेषित करने हेतु चार से पांच किराए के सिविल वाहनों की आवश्यकता है और सभी एकीकृत फील्ड शेल्टरों को केंद्रीय आयुध डिपो, मुम्बई से विभिन्न इकाइयों में प्रेषित करने हेतु लगभग ₹2 करोड़ की आवश्यकता होगी ।दोहरी चढाई उतराई तथा वाहनों को किराए पर लेने से होनेवाले परिहार्य व्यय से बचने के लिए कमांडन्ट ने सेना मुख्यालय को सभी एकीकृत फील्ड शेल्टर प्रत्यक्ष रूप से विभिन्न क्षेत्रीय आयुध डिपोओं में प्रेषित करने की सलाह दी । तथापि सेना मुख्यालय ने अतिंम परेषिती का संशोधन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2012 तक विभिन्न इकाइयों को 64 एकीकृत फील्ड शेल्टरों का पुनः परिवहन करना पडा। उन भंडारों के पुनपर्रिवहन पर ₹1.30 करोड़ का व्यय परिकल्पित किया जो परिहार्य था।

जनवरी 2012 में लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर केंद्रीय आयुध डिपो मुम्बई ने यह मामला सेना मुख्यालय के साथ उठाया। सेना मुख्यालय ने लेखापरीक्षा का दावा स्वीकार किया (अप्रैल 2012) और कहा कि परिवहन नमूने को आगामी संविदा के लिए कार्यान्वित किया गया है।

इस प्रकार सेना मुख्यालय द्वारा परिवहन नमूना को कार्यान्वित करने में विफलता के कारण ₹5.45 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। इससे वह प्रयोजन ही निष्फल हो गया, जिसके के लिए परिवहन नमूना परिकल्पित किया गया था।

यह मामला मई 2013 में मंत्रालय को भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2013)।

3.5 भवनों में अप्राधिकृत शक्तिवर्धक उपायों के प्रावधान के कारण अतिरिक्त खर्च

संबंधित सक्षम वित्तीय प्राधिकारियों ने भारतीय मानक 1893:2002, भारत के राट्रीय भवन संहिता 2005 एवं केंद्रीय कमान कार्यो के विनिर्देशों का उल्लघन करते हुए भूकम्पीय क्षेत्र II और III मे भवनों के निर्माण हेतु अतिरिक्त पिलिंथ क्षेत्र दरों को सम्मिलित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹2.34 करोड का अतिरिक्त खर्च हुआ।

अभियन्ताओ द्वारा अतिरिक्त पिलिंथ क्षेत्र दरों को सम्मिलित करते हुए तैयार समीपवर्ती अनुमानों के आधार पर संबधित सक्षम वित्तीय प्राधिकारियों (सी.एफ.ए.) द्वारा सेना की भूकम्पीय क्षेत्र

।।[18] और ।।।[19] में भवन के निर्माण हेतु संस्वीकृत के परिणामस्वरूप ₹ 2.34 करोड़ का अतिरिक्त खर्च हुआ।

स्केल आफ एकोमोडेशन यह निर्दिष्ट करता है कि अभियंता मितव्यता, सामान्य भवन चलन और स्थानीय शिल्पविद्या के अनुरूप आकारों का विनिर्देश और खाका तैयार करते है। भारतीय मानक 1893:2002, भारत के राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 और केन्द्रीय कमान कार्य विनिर्देशों के अनुसार सैन्य स्टेशन रायपुर, जबलपुर/पचमडी और मऊ भूकम्पीय क्षेत्र ।। और ।।। के अंतर्गत आते है।

इंजिनियर-इन-चीफ, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सैन्य) (इ-इन-सी) ने अप्रैल 2001 और जुलाई 2007 में मानक सूची दर क्रमशः 1996 और 2004 पर आधारित भवनों के विभिन्न समूह हेतु पिलिंथ क्षेत्र दरों को अधिसूचित किया। मूल पिलिथ क्षेत्र दरें सभी भूकम्पीय क्षेत्रों के लिए निर्दिष्ट थी जबकि अतिरिक्त पिलिंथ क्षेत्र दरें जो मूल दरों के अलावा भवनों में फ्रेम्ड निर्माण के संबंध में, भूकम्पीय क्षेत्र iv[20] और v[21] में मजबूती प्रदान करने के उपायों हेतु स्वीकार्य थे। अतिरिक्त पिलिंथ क्षेत्र दरें भूकम्पीय क्षेत्र ।। और ।।। में भवनों के फ्रेम्ड संरचना निर्माण हेतु प्राधिकृत नहीं थी।

अक्तूबर 2003 और मार्च 2012 के बीच जारी संस्वीकृतियों की हमारी जॉच में उजागर हुआ कि अभियंताओं द्वारा तैयार अनुमानो के आधार पर संबंधित सी.एफ.ए. ने सैन्य स्टेशन,[22] जो भूकम्पीय क्षेत्र ।। और ।।। आते है, में भवनों के निर्माण हेतु फ्रेम्ड निर्माण के साथ अतिरिक्त पिलिंथ दरों को सम्मिलित करते हुए एकीकृत वित्तीय सलाहकरों द्वारा अनुमति प्राप्त करते हुए संस्वीकृति को जारी किया। 39 ऐसी स्वीकृतियों के प्रति 33 संविदाएँ कार्य निपादन के लिए किये गये नतीजन मजबूती प्रदान करने के उपायों हेतु अतिरिक्त खर्च ₹2.34 करोड के तुल्य थी। संस्वीकृतियों के संबंध में संविदाओं का निष्पादन करना अभी बाकी है।

जून 2011 और मार्च 2012 में मुख्य अभियंता जबलपुर क्षेत्र (सी.ई.जे.जेड.) ने कहा कि यद्यपि जबलपुर और पंचमडी क्षेत्र ।।। के अंतर्गत आते है परन्तु हाल ही में आए भूकंप और अन्य कारकों जैसे मिटटी की स्थिति, अवमृदा जल आदि के कारण अतिरिक्त मजबूतीकरण हेतु अतिरिक्त राशि पर विचार किया। भविष्य में भूकम्पीय क्षेत्र हेतु विचार नहीं किया जाएगा। आगे लेखापरीक्षा प्रकाश के अवलोकन में, सभी अनुवर्ती संस्वीकृतियाँ बिना अतिरिक्त पिलिंथ क्षेत्र दरों के जारी की गई ।

अतः मामले ने उजागर किया कि सी.एफ.ए. ने पिलिंथ क्षेत्र दरों के आधार पर, अतिरिक्त पिलिंथ क्षेत्रीय दरों को सम्मिलत करते हुए इ-इन-सी एवं मुख्य अभियंता के निर्देशों की अवहेलना करते हुए भूकम्पीय क्षेत्र ।। एवं ।।। में भवनों के निर्माण हेतु संस्वीकृति प्रदान की। इन बढी हुई संस्वीकृतियों के आधार पर सैन्य अभियंता सेवाओं द्वारा संविदाएँ निष्पादित की गई जिसके परिणामस्वरूप ₹2.34 करोड का अतिरिक्त खर्चा हुआ।

मामला मई 2013 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर तक प्रतीक्षित था (नवम्बर 2013)।

---

[18] क्षेत्र-।। -यह सवसे कम सक्रिय भूकम्पीय क्षेत्र है।

[19] क्षेत्र-।।।- इस क्षेत्र को औसत दर्जे के भकम्पीय क्षेत्र में सम्मिलित किया है।

[20] क्षेत्र-iv इस क्षेत्र को अधिक भूकम्पीय क्षेत्र माना गया है।

[21] क्षेत्र-v यह सबसे अधिक भूकम्पीय क्षेत्र है।

[22] क्षेत्र-।- रायपुर, क्षेत्र-।।-जबलपुर, पंचमडी और महू ।

3.6 रक्षा आवास का अनधिकृत उपयोग

सरकारी आदेशों की घोर उपेक्षा करते हुए स्थानीय कमांडरो ने सरकारी भवनों को अनधिकृत उद्देश्यों के लिए पुनर्विनियोजन करते हुए अपनी प्रत्यायुक्त शक्तियों का दुरूपयोग किया।

भारत के महानियंत्रक लेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) द्वारा समय समय पर सेना के स्थानीय कमांडरों द्वारा सैन्य संपत्तियों के अनधिकृत उपयोग/पुर्नविनयोजन से संबंधित उठाये गए मामलों को घ्यान में रखते हुए, रक्षा मंत्रालय (एम.ओ.डी) ने अक्तूबर 2001 में निर्देश जारी किए कि पुनर्विनियोजन मामलों में मानकों की वृद्वि अथवा नए चलन के शुरूवात के लिए सरकार की संस्विकृति की आवश्यकता होगी। यह भी निर्देशित किया गया था कि नियमों के उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

सी.ए.जी. संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) थल सेना और आयुध फैक्ट्रियों के प्रतिवदेन 2008 की संख्या 4 और 2011 की संख्या 16 में फिर से स्टेशन कमांडरों द्वारा सरकारी भवनो का अनधिकृत उद्देश्यों के लिए पुनर्विनियोजन करते हुए, प्रत्यायुक्त शाक्तियों के दुरूपयोग का उल्लेख किया गया था। 2008 के प्रतिवदेन संख्या 4 के कार्यवाही नोट में रक्षा मंत्रालय ने लेखापरीक्षा नतीजों के साथ सहमति जताई और अक्तूबर 2011 में पुष्टी की कि संबंधित भवन को महिला छात्रवास द्वारा खाली करवा दिया गया है तथा स्थानीय सैन्य अधिकारियों को हस्तांतरण कर दिया गया है।

मंत्रालय द्वारा संबंधित विषय पर जारी किए गए निर्धारित विनियम एवं निर्देशों तथा सी. ए. जी. द्वारा नियमित जारी पैरों के बावजूद हमने आगे भी स्थानीय कमांडरो द्वारा निर्धारित विनियम की सकल उपेक्षा करते हुए अनधिकृत उद्देश्यों के लिए पुनर्विनियोजन करते हुए सैन्य संपत्तियों के अनधिकृत उपयोग को निम्नलिखित मामलों में देखाः

मामला-1

मार्च 2007 में, मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र, द्वारा आहूत बोर्ड आफ आफिसर्स की सिफारिशों के आधार पर रक्षा मंत्रालय ने रोगियों एवं उनके परिचारको के ठहरने के लिए बेस हास्पिटल (बी. एच.) दिल्ली कैंट के नजदीक 20 अधिकारियों 20 कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारी (जे.सी.ओ) और 60 अन्य श्रेणी (ओ.आर.)के परिवर्ती आवास के लिए विशेष कार्य को ₹4.40 करोड़ की अनुमानित लागत पर संस्विकृति प्रदान की। परन्तु जब 3 ब्लाकों का कार्य अपनी समाप्ति पर था, तब जनवरी 2011 में स्टेशन मुख्यालय दिल्ली छावनी ने, पहले से पुराने बी,एच,बैरक में चलते आ रहे सेना बाल छात्रावास (ए.बी एच)को समायोजित करने के लिये 3 मे से 2 ब्लाकों के पुनर्विनियोजन के मामले की शुरूवात की। ए.बी.एच की शुरूवात वर्ष 2000 मे मुख्यालय दक्षिणी कमान के निर्देशों पर सभी रैंकों के वार्डों के लिए की गई थी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उच्च शिक्षा/ व्यवसायिक योग्यता वाले पाठ्यक्रम की पढाई कर रहे थे।

परिवर्ती आवास का कार्य ₹4.98 करोड़ की लागत पर 28 फरवरी 2011 मे समाप्त हुआ। जुलाई 2011 में जनरल आफीसर कमांडिग (जी.ओ.सी.) मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र ने जे.सी.ओ एवं ओ.आर के परिवर्ती आवास के लिए 2 ब्लाकों की अस्थाई पुनर्विनियोजन की संस्वीकृति एक वर्ष के लिए (जनवरी 2011 से दिसम्बर 2011) तक ए.बी.एच के रूप मे उपयोग के लिए इस आधार पर प्रदान की, कि बी.एच. की लोकेशन प्लान अपनी मौजूदा क्षेत्र से अलग क्षेत्र में कायम होने की संभावना थी, अतः नए बने हुए परिवर्ती आवासों को इष्टतम उपयोग में नही लाया जा सकेगा। पुनर्विर्नियोजन की संस्वीकृति को आगे भी जी.ओ. सी दिल्ली क्षेत्र द्वारा

जनवरी 2012 से दिसम्बर 2012 एवं जनवरी 2013 से दिसम्बर 2013 के लिए नवीकृत किया गया ।

परिवर्ती आवास के तीसरे ब्लाक का उपयोग उपशामक सावधानी केंद्र (पी.सी.सी) के रूप में किया जा रहा था जो एडजुटेंट निधि से एक गैर सरकारी संस्थान द्वारा स्थापित किया गया था। 12 जुलाई 2011 एवं 31 अगस्त 2012 के बीच, पी.सी.सी., बी. एच. दिल्ली छावनी और ग्लोबल कैंसर कन्सर्न के एक एम.ओ.यु के तहत आवधिक रूप से बीमार रोगियों के उपचार के लिए कार्य कर रहा था। अंततः बी.एच दिल्ली छावनी ने सितम्बर 2012 से पी.सी.सी का प्रबंधन संभाल लिया था।

इस प्रकार रोगियों एवं उनके परिचारकों की सुविधा के लिए ₹4.98 करोड़ की लागत वाले समूचे आवास का अनधिकृत उद्देश्यों लिए उपयोग किया जा रहा था तथा रोगियों/ परिचारकों जिनके लिए सरकार ने विशेष मामले के अर्न्तगत आवास स्वीकृत किया था को बैरकों, मेस और गेस्ट रूम में ठहराया जा रहा था।

मामला-2

₹49.49 लाख की लागत वाले पुणे छावनी में, 1302.43 वर्ग मीटर में बने हुए एक सरकारी भवन को वास्तविक तौर पर विवाहित आवास के अलावा एक इन्फैन्ट्री बिग्रेड के जूनियर कमीशन्ड मैस के तौर पर किया गया था। ये भवन एवं इसके साथ 2003-04 के दौरान बने हुए 2 भवनों को एक 'आर्मी वाइव्स वैलफेयर एसोसियेशन' (अ.व.व.आ) एक गैर सरकारी संस्थान द्वारा जून 2004 से लडकियों के हास्टल के रूप में उपयोग के लिए अधिकृत किया गया। 'अ.व.व.आ गर्ल्स के हास्टल' नए स्थान किरकी मे स्थानांतरण के पश्चात सितम्बर 2005 से वहाँ पर 'दक्षिणी कमान बायज हास्टल' के नाम से एक लडकों का हास्टल चलने लगा।

अप्रैल 2007 और फिर अप्रैल 2008 में मामले को हमने सरकारी मकानों को अनाधिकृत उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के संबध में मुख्यालय दक्षिणी कमान (एस.सी)एवं मुख्यालय पुणे सब एरिया (पी.एस.ए.) के सम्मुख प्रस्तुत किया। जुलाई 2008 में मुख्यालय पी.स.ए ने कहा कि मकान के पुनर्विनियोजन के लिए सक्षम अधिकारी से कार्योपरांत संस्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी एवं लाइसेंस फीस की वसूली के लिए बोर्ड आफॅ आफिसर्स को भी आहुत कर दिया गया था।

यह उत्तर कि पुनर्विनियोजन के लिए सक्षम अधिकारी से पुनर्विनियोजन संस्वीकति प्राप्त कर ली गई है तथ्यात्मक रूप से गलत था क्योकि रक्षा मत्रालय से नियमों के अनुसार पुनर्विनियोजन संस्विकृति प्राप्त करने के बजाए संस्वीकृति स्टेशन कमांडर, पुणे से मई 2007 में प्राप्त की गई थी।

अतः विशिष्ट सरकारी आदेशों एवं नियंत्रक महालेखापरीक्षक के विभिन्न प्रतिवेदनों में इन गंभीर अनियमितलाओं को दर्शाने के बावजूद स्थानीय कमांडरों द्वारा बिना रक्षा मंत्रालय से संस्वीकृति प्राप्त किए हुए अपनी प्रत्यायुक्त शाक्तियों का दुरूपयोग सरकारी भवनों को अनाधिकृत उद्देशयों के लिए पुनर्विनियोजन करने के लिए किया गया जो कि विस्तारपूर्वक जाँच और उपयुक्त कार्यवाही की माँग करता है।

3.7 लेखापरीक्षा की आपत्ति पर वसूलियाँ, बचतें एवं लेखाओं में समायोजन किया जाना

हमारी टिप्पणियों के आधार पर लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹ 68.94 करोड़ के शुद्व प्रभाव युक्त वेतन एवं भत्तों, विविधि प्रभारों, विद्युत एवं किराया प्रभारों के भुगतानधिक्य की वसूली की, अनियमित निमार्ण संस्वीकृतियों को निरस्त किया तथा वार्षिक लेखाओं को संशोधित किया।

लेखापरीक्षा के दौरान हमने अनियमित भुगतान,शुल्कों की वसूली कम/न होने अनियमित संस्वीकृतियों को जारी करने तथा लेखांकन अशुद्वियों के कई उदाहरण देखे। लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर कार्य करते हुए, लेखापरीक्षित इकाइयों ने उपचारात्मक कार्रवाई की, जिसका शुद्व प्रभाव संक्षेप में निम्नवत् हैः

वसूलियाँ

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, प्रधान नियंत्रक, रक्षा लेखा सैन्य अभियंता सेवाएं (एम.ई.एस) , वेतन एवं लेखा कार्यालयों, कैन्टीन भंडार विभाग (सी.एस.डी.) मुख्यालय तथा सीमा सडक संगठन के दस्तावेजों की जांच में ₹ 7.04 करोड़ के वेतन एवं भत्तों, विविध प्रभारों के अनियमित भुगतान, रक्षा कार्मिकों (अधिकारी, कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारी तथा अन्य श्रेणी) से विद्युत के नियत प्रभारों की तथा किराए व संबंद्व प्रभारों की वसूली न होना इत्यादि प्रकट हुए। इंगित किए जाने पर संबंधित इकाइयों ने अनियमित भुगतानों की वसूली की/करने को सहमत हुई।

बचतें

विभिन्न संस्वीकृति प्रदत प्राधिकरणो जैसे कि रक्षा मंत्रालय, सेना के क्षेत्र/उप-क्षेत्र मुख्यालय, स्टेशन मुख्यालयों, कोर मुख्यालयों इत्यादि ने निर्माण कार्यों की अनियमित प्रशासनिक अनुमतियां निरस्त की। कुछ एम.ई.एस. अधिकारियों ने अपने द्वारा कार्याधीन निर्माण कार्यो के संबंध में कमी विवरणियां जारी करके प्रशासनिक अनुमति राशि को कम किया। इन कार्रवाइयों के शुद्व परिणामस्वरूप कुल ₹ 42.57 करोड़ की बचत हुई।

वार्षिक लेखाओं मे संशोधन

हमारे लेखापरीक्षा में अनियमित लेखांकन जैसे कि शेष भंडार का अधिमूल्यांकन, दायित्वों के प्रति अपर्याप्त प्रावधान, राज्य सरकारों से प्राप्य राशि का अल्पांकन इत्यादि के उद्यरण इंगित करने पर सी.एस.डी. मुख्यालय ने वार्षिक लेखाओं में सुधार किया। इन सुधारों के अभाव में लाभाधिक्य तथा विभिन्न देनदारों का अल्पांकन हो गया होता। इन सुधारों का शुद्व प्रभाव ₹ 19.33 करोड़ था।